

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत, न्याय आपके द्वार/केम्प कोर्ट)


गोपाल लाल स्वयंकार  
नाम पीठासीन अधिकारी - श्री गोपालसिंह (आर०ए०एस०)  
उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

प्रकरण संख्या / / 2018

दायर दि० 18-5-18  
फैसल दि० 17-5-18

श्री सरपंच आरा अनवान  
बनाम भूमिधारी (तहसीलदार)  
सागवाडा  
(प्रतिवादी)  
(वादी)

वादी श्री सरपंच आरा ने वाद प्रस्तुत कर  
मोजा आरा के खाता नम्बर 887 ... जमाबन्दी सं० 2073-76  
में अंकित स्वयं/पिता का नाम श० उ० वि० कुम्हारवाडा आरा  
गलत दर्ज होने से संशोधन के लिए प्रार्थना पत्र आज शिविर में प्रस्तुत किया है  
। प्रार्थना पत्र राजस्व वाद प्रकृति का होने से राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर कर  
रिपोर्ट पटवारी/भूमिधारी प्राप्त की गई रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का सही नाम श० उ० वि०  
कुम्हारवाडा आरा 99वर्ष है लेकिन उक्त खाते में गलत नाम श० उ० वि०  
कुम्हारवाडा दर्ज होने से संशोधन के लिए अभिशंसा की गई है ।  
प्रार्थी द्वारा स्वयं/पिता का सही नाम श० उ० वि० कुम्हारवाडा आरा 99वर्ष  
पा लीज पर आवरे होने के सम्बन्ध में राशनकार्ड/आधार कार्ड/मतदाता  
पहचान पत्र एवं पंचायत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है ।  
अतः रिपोर्ट भूमिधारी एवं प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार वादी का वाद  
स्वीकार किया जाता है । तहसीलदार सागवाडा/गलियाकोट को आदेश  
दिया जाता है कि मोजा आरा की जमाबन्दी संवत् 2073-76  
के खाता संख्या 887 में खातेदार/सहखातेदार का अंकित गलत  
नाम श० उ० वि० कुम्हारवाडा में संशोधन कर सही नाम  
श० उ० वि० कुम्हारवाडा आरा 99वर्ष दर्ज रेकार्ड किया जावे ।  
निर्णयानुसार पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार  
हो नम्बर से कम हो ।

  
उपखण्ड अधिकारी  
सागवाडा